

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त के संबंध में है। यह वित्त, बजट प्रबंधन और लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं और राज्य वित्त से संबंधित अन्य विषयों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय-सूची को उजागर करता है और प्रमुख आंकड़ों एवं पहलुओं को आशुचित्र के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजट लक्ष्य के प्रति निष्पादन, राजस्व और व्यय अनुमान, विचलनों के कारण और उनके प्रभाव के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (वर्तमान मूल्य पर) 9.29 प्रतिशत औसत वृद्धि दर के साथ 2018-19 के ₹ 7,38,389 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 10,43,759 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय 10.08 प्रतिशत औसत वृद्धि दर के साथ 2018-19 के ₹ 58,177.14 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 79,128.28 करोड़ हो गया।

वर्ष 2021-22 की तुलना में स.रा.घ.उ. में 15.38 प्रतिशत की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों में 27.15 प्रतिशत वृद्धि हुई और स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2021-22 के 5.45 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 6.01 प्रतिशत हो गई। स्वयं राज्य का कर राजस्व 18.35 प्रतिशत बढ़ा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण व अग्रिम) 2021-22 के ₹ 56,957 करोड़ से 4.28 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 59,395 करोड़ हो गया। इसमें राजस्व व्यय में 2021-22 की तुलना में 4.78 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी। राजस्व अधिशेष ₹ 3,270 करोड़ से बढ़कर ₹ 14,457 करोड़ हो गया, जिसमें 2021-22 की तुलना में 342.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 2021-22 के

₹ 7,021 करोड़ के राजकोषीय घाटे के प्रति 2022-23 में ₹ 4,566 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष था जिससे 165.03 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई।

प्राप्ति-व्यय बेमेल

प्राप्ति और व्यय के बीच निरंतर बेमेल बढ़ते हुए राजकोषीय तनाव की ओर इंगित करता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसा कि राज्य का अपना कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, सहायता अनुदान और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखा व्यय (परिसंपत्ति सृजन, ऋण एवं अग्रिम, निवेश आदि) सम्मिलित हैं।

2018-19 से 2022-23 तक राजस्व प्राप्तियां 11 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़कर ₹ 43,113 करोड़ से ₹ 62,703 करोड़ हो गईं। पूंजीगत प्राप्तियां इस अवधि के दौरान ₹ 4,524 करोड़ से घटकर ₹ 4,509 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2018-19 में 13.56 प्रतिशत से 2022-23 में 23.54 प्रतिशत तक बढ़ा, जो भारत सरकार की सहायता पर अधिक निर्भरता को इंगित करता है। इस वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में राज्य सरकार को ₹ 981.79 करोड़ प्राप्त हुए।

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों को पूरा करने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप राज्य की अवसंरचना एवं सेवा नेटवर्क में कोई परिवर्धन नहीं होता है। 2018-19 और 2022-23 के बीच राजस्व व्यय में ₹ 36,852 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 4.99 प्रतिशत) से ₹ 48,246 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 4.62 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान इसने लगातार 7.48 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि करते हुए व्यय के 81 प्रतिशत (2022-23) से 87 प्रतिशत (2018-19) तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष/घाटा होता है। राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2018-19 के ₹ 6,261 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 0.85 प्रतिशत) से चालू वर्ष में ₹ 14,457 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.39 प्रतिशत) तक बढ़ा। राजस्व अधिशेष को इस तथ्य को

ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि अन्य राज्यों के विपरीत 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. कर्मचारियों की ₹ 1,867 करोड़ की पेंशन देयता भारत सरकार द्वारा वहन किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस के ₹ 11,240 करोड़ का व्यय भी भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा वहन किया गया था।

राज्य सरकार ने पूंजीगत खाते पर ₹ 8,065 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2022-23 के कुल व्यय का 13.58 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय अधिशेष/घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय अधिशेष 2018-19 के ₹ 2,237 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 0.30 प्रतिशत) से बढ़कर 2022-23 में ₹ 4,566 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 0.44 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला भार पड़ता है और उसमें ब्याज का भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर होने वाला व्यय शामिल है। 2018-19 से 2022-23 के दौरान ब्याज के भुगतान, वेतन और पेंशन पर किया गया प्रतिबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का लगभग 36 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय में 7.90 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई अर्थात् 2018-19 के ₹ 13,195.08 करोड़ से 2022-23 में ₹ 17,484.05 करोड़ तक {2021-22 की तुलना में 8.22 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 16,155.86 करोड़)}।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त, 2018-19 से 2022-23 के दौरान अपरिवर्तनीय व्यय, राजस्व व्यय के 31.22 प्रतिशत से 30.4 प्रतिशत तक घटा, जो गिरावट की प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है। अपरिवर्तनीय व्यय 21.65 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 2021-22 में ₹ 12,056.84 करोड़ से 2022-23 में ₹ 14,667.45 करोड़ तक बढ़ा। 2018-19 (₹ 11,505.71 करोड़) से 2022-23 (₹ 14,667.45 करोड़) के दौरान अपरिवर्तनीय व्यय की औसत वृद्धि 5.50 प्रतिशत थी।

कुल मिलाकर, 2022-23 में प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय ₹ 32,151.50 करोड़ रहा; जो राजस्व व्यय का 67 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों और पूंजी निर्माण के लिए कम लचीलापन रह जाता है।

सब्सिडी गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा है

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी की बढ़ती प्रवृत्ति है जो 2018-19 के दौरान ₹ 2,533 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 4,633 करोड़ हो गई अर्थात् 2018-19 के कुल राजस्व व्यय के 6.87 प्रतिशत से 2022-23 में 9.60 प्रतिशत हो गई। पावर सब्सिडी इस अवधि के दौरान कुल सब्सिडी का 66.95 प्रतिशत (2019-20) से लेकर 70.39 प्रतिशत (2020-21) तक थी।

राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं के स्तर, बजट-इतर उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे व्यापक राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के बेमेल का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि तथा अन्य अपरिवर्तनीय व्यय जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, रिज़र्व निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों को अंतरण आदि सम्मिलित हैं।

राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार 2018-19 से 2022-23 के बीच रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के बकाया सार्वजनिक ऋण में प्रतिवर्ष 4.01 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का सार्वजनिक ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 2018-19 के 4.44 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.86 प्रतिशत हुआ है जो इंगित करता है कि ऋण स्थिरीकरण निकट भविष्य में संभव हो सकता है।

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, यद्यपि डोमर गैप (जी-आर के रूप में अभिव्यक्त) धनात्मक था और पिछले वर्षों से उसके मूल्य में भी वृद्धि हुई, 2022-23 तक अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करते हुए प्रारंभिक बकाया स्थिर न था। अतः वर्ष 2021-22 और 2022-23 में केवल डोमर गैप को देखकर मजबूत आर्थिक विकास (जी-आर > 0 के रूप में अभिव्यक्त) के रुझान को निर्णायक रूप से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। हालांकि, स.रा.घ.उ. (जी) की वास्तविक वृद्धि दर और कोविड-19 के बाद के वर्ष (अर्थात् 2021-22

और 2022-23) के दौरान डोमर गैप (जी-आर) को 2020-21 के दौरान ऋणात्मक स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप बाद के वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. की विकास दर की गणना के लिए आधार कम होगा। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का संपूर्ण अंश वर्ष 2018-19 और 2022-23 में उधारों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया था, जबकि 2019-20 से 2021-22 के दौरान, पुनर्भुगतान 34 प्रतिशत से 84 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास (2021-2023 से जी-आर>0 के रूप में अभिव्यक्त) पर निर्भर रहना राज्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

बजट निष्पादन

कुल व्यय आउटटर्न

बजटीय लक्ष्य और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय आउटटर्न किस सीमा तक आधिक्य और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व भाग में, मूल अनुमोदित बजट (बीई) की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-)9.41 प्रतिशत था। यह नौ अनुदानों में +25 प्रतिशत तक, तीन अनुदानों में +25 प्रतिशत और +50 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में +50 प्रतिशत और +100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूंजी भाग में मूल अनुमोदित बजट की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 26.07 प्रतिशत था। यह दो अनुदानों में +25 प्रतिशत तक, पांच अनुदानों में +25 प्रतिशत और +50 प्रतिशत के बीच; और चार अनुदानों में +50 प्रतिशत और +100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूंजी भाग के चार अनुदानों के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना आउटटर्न

बजट निष्पादन इस बात पर भी विचार करता है कि कार्यान्वयन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनरावंटन ने किस सीमा तक व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है। यह आकलन संस्वीकृत बजट और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता की सीमा को इंगित करता है। राजस्व भाग में, संस्वीकृत बजट (एसबी)

की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 12.71 प्रतिशत था। यह नौ अनुदानों में + 25 प्रतिशत तक, तीन अनुदानों में + 25 प्रतिशत और + 50 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में + 50 प्रतिशत और + 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूंजी भाग में, संस्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 30.08 प्रतिशत था। यह दो अनुदानों में + 25 प्रतिशत तक, तीन अनुदानों में + 25 प्रतिशत और +50 प्रतिशत के बीच और छह अनुदानों में + 50 प्रतिशत और + 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

यह देखा गया कि आठ मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 1,999.30 करोड़ का प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन इंगित करता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और संस्वीकृत बजट के बीच विचलन लगभग 17.84 प्रतिशत था, तथापि विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और उससे अधिक विचलन था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि अनेक मामलों में ऐसे अनुपूरक अनुदान भी थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट पद्धति की आवश्यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में वे मर्दे, लेनदेन और घटनाएं सम्मिलित हैं जो अनुपालन में अंतराल नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित हैं, जो वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों को भी उजागर करता है जैसे सरकारी खातों के बाहर धन की पार्किंग, देयताओं का गैर या अल्प उन्मोचन, लेनदेन और डेटा अंतराल का गलत वर्गीकरण।

व्यक्तिगत जमा खातों का प्रचालन

31 मार्च 2023 तक 11 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 28.80 करोड़ का अंत शेष था।

एकल नोडल एजेंसी को धनराशि

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और धन उपलब्ध कराने हेतु एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है। पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान एकल नोडल एजेंसियों को ₹ 2673.03 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा ₹ 1,335.36 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 1337.67 करोड़) हस्तांतरित किए गए। पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एकल नोडल एजेंसियों के बैंक खातों में ₹ 902.89 करोड़¹ बिना खर्च किए पड़े थे।

सशर्त अनुदान के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र

एक निर्धारित समयावधि के अंदर सशर्त अनुदान के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2023 तक ₹ 9,314.85 करोड़ के 1,339 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे।

ए.सी. बिल के प्रति डी.सी. बिल

इसी प्रकार, संक्षिप्त आकस्मिक व्यय (ए.सी.) बिल के माध्यम से निकाली गई अग्रिम धनराशि के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय (डी.सी.) बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2023 तक ₹ 574.89 करोड़ के 4,818 ए.सी. बिल डी.सी. बिल प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे, जिनमें ₹ 283.63 करोड़ के 4,068 ए.सी. बिल 2021-22 तक की अवधि से संबंधित थे।

प्रचलित नियमों और कोडीय प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। सशर्त अनुदान के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत न करने, ए.सी. बिल के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत न करने, आईजीएस-3 का अनुपालन न करने से खातों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

¹ पीएफएमएस पोर्टल पर 31 मार्च 2023 तक अव्ययित शेष राशि ₹ 822.93 करोड़ थी (29 फरवरी 2024)।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2023 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन दिल्ली में 18 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) थे, जिनमें दो वैधानिक निगम और 15 सरकारी कंपनियां (चार निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) और एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 16 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया था जिनके 23 लेखे बकाया थे। आठ कार्यरत एसपीएसई द्वारा अर्जित ₹ 1,873.65 करोड़ के कुल लाभ में से 98.46 प्रतिशत का योगदान केवल पांच एसपीएसई द्वारा किया गया था। नौ एसपीएसई द्वारा की गई ₹ 8,531.24 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 8,498.35 करोड़ (99.61 प्रतिशत) की हानि केवल दिल्ली परिवहन निगम द्वारा की गई। 2022-23 के दौरान, एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों का प्रभाव लाभप्रदता तथा परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 180.76 करोड़ था।

राज्य सरकार एसपीएसई के प्रबंधन पर अपने वित्तीय विवरण की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल सकती है। अंतिम लेखाओं के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहते हैं। राज्य सरकार उन रा.सा.क्षे.उ. में हानियों के कारण का विश्लेषण कर सकती है, जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी और इन रा.सा.क्षे.उ. के संचालन को जारी रखने के संबंध में निर्णय ले।
